न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 03/2025

अपीलांट्स –
1. पीथाराम पुत्र देराजराम
2. मोहनराम पुत्र देराजराम
3. पोकरराम पुत्र देराजराम
4. ढेली पत्नि देराजराम
5. सीता पत्नि बाबूराम
6. मोदी पुत्र बाबुराम
7. कोजी पत्नि डामरराम
8. किशनी पुत्री डामरराम
9. सायर पुत्री डामरराम
10. धापू पुत्री डामरराम
11. केसी पुत्री डामरराम
12. श्रवण कुमार गोदपुत्र डामरराम जाति भील निवासी राईको की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार बाड़मेर
2. ऐलमा पत्नि हरखाराम जाति भील निवासी महाबार पीथल
3. गोरखाराम पुत्र खीमाराम
4. बालूराम पुत्र खीमाराम
5. डामरराम पुत्र खीमाराम
6. उतमाराम पुत्र खीमाराम
7. राजाराम पुत्र खीमाराम
8. शान्ति देवी पत्नि भेराराम जाति भील निवासी राईकों की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2085 दिनांक 05.07.2019 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व8 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 13.08.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तह[illegible] भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2085 दिनांक 05.07.2019 [illegible] विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौज[illegible] राईकों की ढाणी में ख[illegible]रा संख्या 314 रकबा 91–00 बीघा भूमि खातेदारान एलमों पत्नि हरखाराम कौम भील

जिला कलक्टर
बाड़मेर

महाबार पीथल, पीथाराम, मोहनराम, बाबूराम, पोकराराम पि0 देराजराम, कोजी देवी पत्नि डामराराम, किसनी, सायर, धापू, केसी पुत्रियां डामराराम ना.बा. वलीमाता कोजीदेवी पत्नि डामराराम, श्रवण कुमार गोद पुत्र डामराराम, ढेलीदेवी पत्नि देराजराम, गोरखाराम, बालूराम, डामराराम, उतमाराम, राजाराम पि0 खीमाराम, शान्ति पत्नि भेराराम, किस्तुरी देवी पत्नि खीमाराम कौम भील राईको की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 05.07.2019 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी कगाऊ की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2085 दिनांक 05.07.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.01.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा राईको की ढाणी में खेत खसरा संख्या 314 रकबा 91–00 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 8 का कब्जा काश्त है, जिसमें अपीलांट्स को खेत खसरा नंबर 648/314 रकबा 12–04 बीघा की भूमि हिस्सें मे प्राप्त हुई है, अपीलांट्स का उक्त हिस्से की भूमि के चारो तरफ बाड़ की हुई है तथा इसमें टांका व रहवासीय ढाणियां बनी हुई है एवं उपजाउ जमीन की गई है तथा इसी माफिक वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पटवारी हल्का व अन्य सहखातेदारान द्वारा भी यही बताया गया कि अपीलांट्स के कब्जे–काश्त की भूमि अपीलांट्स को दी जा रही है तथा शेष सह खातेदारानको भी उनके भौतिक कब्जे अनुसार भूमि दी जा रही है। इसी कथन से आश्वस्त होकर अपीलांट्स ने विभाजन आवेदन पर अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये थे। इस विभाजन आदेश का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया तथा आराजी के लट्ठाट्रेस (नक्शा) में हलका पटवारी ने तरमीम अपने स्तर पर कर दी। यह तरमीम करने से पूर्व पटवारी हल्का अथवा [illegible] (भू.अ.) मौके पर भूमि की सर्वे करने हेतु नहीं आये थे। इस कारण अपीलांट्स के कब्जे काश्त की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि उत्तरदातागण के खाते में दर्ज कर दी गई है, जो मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत विभाजन आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अर्सा पूर्व विभाजन की भूमि मौके पर चिन्हित करवाने हेतु अपीलांट्स पटवारी हल्का को लेकर आये तथा उपलब्ध नक्शे के अनुसार पटवारी हल्का ने पैमाईश कर बताया कि अपीलांट्स के कब्जे–काश्त की भूमि उतरदातागण के खातेदारी में दर्ज कर दी गई और अपीलांट्स के नाम खातेदारी में उतरदातागण के कब्जे–काश्त वाली भूमि अपीलांट्स के नाम अंकन कर दिया गया है। उक्त आदेश का ज्ञान अपीलांट्स को हल्का पटवारी से मौके पर विभाजित की गई भूमि के अनुसार चिन्हित करवाया तब इस त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार बाड़मेर नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 06.12.2024 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्‌भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा राईको की ढाणी में खेत खसरा संख्या 314 रकबा 91–00 बीघा आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट्स की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा राईकों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 314 रकबा 91–00 बीघा भूमि खातेदारान एलमों पत्नि हरखाराम कौम भील महाबार पीथल, पीथाराम, मोहनराम, बाबूराम, पोकराराम पि0 देराजराम, कोजी देवी पत्नि डामराराम, किसनी, सायर, धापू, केसी पुत्रियां डामराराम ना.बा. वलीमाता कोजीदेवी पत्नि डामराराम, श्रवण कुमार गोद पुत्र डामराराम, ढेलीदेवी पत्नि देराजराम, गोरखाराम, बालूराम, डामराराम, उतमाराम, राजाराम पि0 खीमाराम, शान्ति पत्नि भेराराम, किस्तुरी देवी पत्नि खीमाराम कौम भील राईको की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 05.07.2019 [illegible]ना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव [illegible] निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी कगाऊ [illegible] तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक [illegible]85 दिनांक 05.07.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 07.01.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट्स की ढाणी, टांके इत्यादि उतरदाता के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, टांके इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी ढाणी, टांके इत्यादि बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 2085 दिनांक 05.07.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:44 IST
Reason: SelfAttested